संख्या-24/8/76-का-प्रसको/2005

प्रेषक,

प्रदीप शुक्ला,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक विभाग-प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ, लखनऊ :: दिनांक :: 6 जुलाई, 2005

विषयः-प्रदेश के प्रशिक्षण संस्थानों में तैनात संकाय अधिकारियों को प्रशिक्षण भत्ता अनुमन्य कराया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, समसंख्यक शासनादेश दिनांक 21 अगस्त, 1999 एवं दिनांक 23 दिसम्बर, 2002 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एम.ओ.टी. (मैंनेजमेंट आफ ट्रेनिंग), डी.ओ.टी.(डिजायन आफ ट्रेनिंग) एवं डी.टी.एस.(डायरेक्ट ट्रेनिंग स्किल) प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी को अधिकृत किया जाता है ।

भवदीय,

(प्रदीप शुक्ला)
सचिव ।

संख्या-24/8/76(1)का-प्रसको/2005, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
2. निदेशक/ प्रधानाचार्य, समस्त प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश ।
3. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
4. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
5. वित्त (सामान्य) अनुभाग-1
6. समस्त वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग
7. इरला चेक (वेतन पर्ची प्रकोष्ठ)

आज्ञा से,

(बी०एन०दीक्षित)
विशेष सचिव।